

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक, लॉजिस्टिक्स

पुलिस मुख्यालय(सिग्नेचर बिलडिंग) पंचम तल, टावर-1 गोमतीनगर विस्तार फेज-2 लखनऊ।

(फ़ैक्स नम्बर-0522-2724030, ईमेल-logisticoffice4@gmail.com)

संख्या: लॉजि0-निरीक्षक आर0(पदोन्नति)-19/2020

दिनांक: जून 09, 2021

सेवामें,

- 1-पुलिस महानिरीक्षक,
प्रयागराज परिक्षेत्र, प्रयागराज।
- 2-अपर पुलिस अधीक्षक,
केन्द्रीय रिजर्व सीतापुर।
- 3-पुलिस अधीक्षक,
जनपद-बाराबंकी।

विषय:-

उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस आरमोरर शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली-2016 के अनुसार निरीक्षक आरमोरर के रिक्त 02 पदों को पदोन्नति द्वारा भरे जाने हेतु बोर्ड प्रपत्र-30(कालम-56) में सूचना अद्यावधिक चरित्र पंजिका/जॉच/विभागीय कार्यवाही एवं आपराधिक प्रकरणों से सम्बन्धित सी0बी0सी0आईडी0/ए0सी0ओ0/ई0ओ0डब्ल्यू/ सतर्कता अधिष्ठान अद्यावधिक सूचना /विवरण एवं स्वघोषणा पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि अधिसूचना संख्या-1333/छ:-पु-2-2016- 1600(128)2015, दिनांक: 06.06.2016 द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस आरमोरर शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली-2016 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उ0नि0 आरमोरर के भर्ती/चयन वर्ष 2020 (01.07.2020 से 30.06.2021) तक के रिक्त पदों पर ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुये पदोन्नति द्वारा भरे जाने हेतु अपर पुलिस महानिदेशक/सदस्य, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के अपेक्षानुसार पात्र कर्मियों की बोर्ड प्रपत्र-32 (कालम-56) में सूचना अद्यावधिक ए0सी0ओ0/ई0ओ0डब्ल्यू/सतर्कता अधिष्ठान आदि का अद्यावधिक विवरण व स्व-घोषणा पत्र उपलब्ध कराया जाना है।

2- प्रश्नगत प्रकरण में उ0नि0 आरमोरर की अनन्तिम वरिष्ठता सूची संलग्न है, उक्त सूची से सभी उ0नि0 आरमोरर को सूचित करा दिया जाय तथा यदि किसी कर्मि को अपने वरिष्ठता के संबंध में कोई आपत्ति हो तो उनका प्रत्यावेदन अपनी स्पष्ट आख्या सहित दिनांक: 15.07.2021 तक प्रत्येक दशा में लॉजिस्टिक्स कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जाय, ताकि आपत्तियों का निवारण कर अन्तिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित की जा सके।

3- प्रोन्नति के लिए अर्ह कर्मियों के वर्ष-2011 से 2020 तक के सेवाअभिलेखों की प्रविष्टियां प्रपत्र-32 (कालम-56) में अंकित किया जायेगा तथा सेवा अवधि की गणना हेतु कट ऑफ डेट 01.07.2020 होगी। उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा प्राप्त बोर्ड प्रपत्र-30 (कालम-56) को भरे जाने के संबंध में भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के दिशा निर्देश की प्रति संलग्न है। प्रपत्र-30 (कालम-56) में सूचना A-3 पेज पर LandScape में माईक्रोसाफ्ट एक्सेल में Kruti Dev 010 Fonts में तैयार की जाय। बोर्ड प्रपत्र पर संबंधित लिपिक, प्रधान लिपिक, सीओ आफिस व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर व नाम/पदनाम की मोहर अवश्य लगी होनी चाहिये।

4- अतः उ0नि0 आरमोरर की संलग्न अनन्तिम वरिष्ठता सूची के उ0नि0 आरमोरर के प्रपत्र-30 (कालम-56) में सूचना मय घोषणा-पत्र व अद्यावधिक चरित्र पंजिका दिनांक: 15.07.2021 तक प्रत्येक दशा में सम्बन्धित सहायक के माध्यम से लॉजिस्टिक्स कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त पत्र/अनन्तिम वरिष्ठता सूची उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट UP Police Units-Logistics-Circuler पर भी अपलोड है।

संलग्नक: यथोपरि।

Spel 9.6.21
(एस0के0 शुक्ला)

अपर पुलिस अधीक्षक, लाजिस्टिक्स,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिलिपि:-पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय, सी0बी0सी0आईडी0/ए0सी0ओ0/ई0ओ0डब्ल्यू/ सतर्कता अधिष्ठान उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है, कि उ0नि0 आरमोरर की संलग्न पात्रता सूची में अंकित कर्मियों के विरुद्ध आपकी इकाई में यदि जांच प्रचलित/लम्बित है, की सूचना अविलम्ब इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
संलग्नक-सूची यथोपरि।

उ०नि० आरमोरर की अनिम वरिष्ठता सूची

क. सं.	पीरनओ नम्बर	उ०नि० आरमोरर का नाम	पिता का नाम	वर्तमान नियुक्ति स्थान	जन्म तिथि	भर्ती तिथि	जाति	गृह जनपद	आरक्षी आरमोरर के पद पर नियुक्ति की तिथि	मु०आ० आरमोरर के पद पर नियुक्ति की तिथि	उ०नि० आरमोरर के पद पर नियुक्ति की तिथि	ग्रेड-1 कोर्स करने का वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	800590318	NARAYAN DAS	RAM DAYAL	CR STP	04-Jul-61	30-Oct-80	SC	JLN	08-12-1983	29-07-2002	09-12-2017	2018
2	790630135	MO YASIN	SHEKH CHAND	ALLD RANGE	01-08-1961	01-10-1979	M	HMR	11-06-1983	10-12-2008	09-12-2017	2018
3	802736129	VIDYA SAGAR YADAV	RAM DHAR	BBK	03-01-1962	06-08-1980	BC	KND	21-09-1984	22-01-2009	09-12-2017	2018

प्रारूप-“क”

स्वघोषणा-पत्र

मैं, _____ (नाम/पदनाम व पीएनओ) पुत्र
निवासी _____ व _____ वर्तमान में
थाना _____ जनपद _____
(जनपद/इकाई का नाम) नियुक्त हूँ तथा घोषित करता हूँ कि:-

- (क) “मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा० न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।”
- (ख) रिट याचिका संख्या:1645/2015 अरविन्द कुमार व 70 अन्य, 4626/2015 संतोष कुमार वैश्य व 18 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य तथा समान प्रकृति की अन्य रिट याचिकाओं में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अनुपालन में विभाग द्वारा जो भी निर्णय लिया जायेगा, वह मुझे स्वीकार होगा।

2- उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3- यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनांक

यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा० न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:-

- (1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनांक तथा कारण _____
- (2) मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई _____ में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक _____ को आरोप-पत्र दिया गया है।
- (3) मेरे विरुद्ध मु०अ०सं० _____ द्वारा _____ थाना _____ जनपद _____ में लम्बित है, जिसमें दिनांक _____ को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी _____ द्वारा आरोप-पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में _____ स्तर पर चल रहा है।

हस्ताक्षर

(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनांक

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी
नाम/पदनाम की मुहर

नोट:-स्वघोषणा-पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उपप्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाय।

बोर्ड प्रपत्र- भरने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश

महत्वपूर्ण :- "बोर्ड प्रपत्र-03" को सावधानीपूर्वक सेवा अभिलेखों के आधार पर भरा जाय।

प्रपत्र का कालम	भरने के सम्बन्ध में निर्देश
1	इस कालम में क्र०सं० अंकित की जायेगी। क्र०सं० आरोही क्रम में अंकित की जायेगी।
2	इस कालम में कर्मों से सम्बन्धित ज्येष्ठता सूची का क्रमांक अंकित किया जायेगा।
3	इस कालम में कर्मों से सम्बन्धित पात्रता सूची का क्रमांक अंकित किया जायेगा।
4	इस कालम में कर्मों का पी०एन०ओ० अंकित किया जायेगा।
5	इस कालम में कर्मों का सेवा अभिलेखों के अनुसार नाम अंकित किया जायेगा।
6	इस कालम में कर्मों का सेवा अभिलेखों के अनुसार पिता का नाम अंकित किया जायेगा।
7	इस कालम में कैडर अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस।
8	इस कालम में कर्मों की नियुक्ति का जनपद/इकाई का नाम अंकित किया जायेगा।
9	इस कालम में कर्मों की नियुक्ति के जनपद/इकाई से सम्बन्धित परिक्षेत्र/अनुभाग का नाम अंकित किया जायेगा।
10	इस कालम में कर्मों के सेवा अभिलेखों के अनुसार जन्मतिथि अंकित की जायेगी।
11	इस कालम में कर्मों की भर्ती का दिनांक अंकित किया जायेगा।
12	सेवा अवधि- का आगणन करने हेतु भर्ती वर्ष की प्रथम जुलाई को अभ्यर्थी की आरक्षी के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि घटाने पर उस भर्ती वर्ष के लिये कुल सेवा अवधि निकाली जायेगी।
13	
14	
15	इन कालमों में क्रमशः भर्ती/रिक्ति का वर्ष, इसके पूर्ववर्ती 10 वर्षों के वार्षिक गोपनीय मंतव्यों की अवधि एवं वार्षिक गोपनीय मंतव्य की श्रेणी अंकित की जायेगी। उदाहरणार्थ : यदि किसी कर्मों का वर्ष 2001 का वार्षिक गोपनीय मंतव्य अलग-अलग अवधि के लिए दो अधिकारियों द्वारा अंकित किया गया है तो उसका विवरण निम्नवत अंकित किया जायेगा:- 2001- 01-01-2001 से 30-04-2001 अति उत्तम 01-05-2001 से 31-12-2001 अच्छा
16	
17	
18	
19	इस कालम में यदि किसी कर्मों का किसी वर्ष का वार्षिक गोपनीय मंतव्य प्रतिकूल अंकित किया गया हो तो उसे कर्मों को संसूचित करने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
20	इस कालम में कर्मों द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील देने का दिनांक अंकित किया जाय।
21	इस कालम में कर्मों के प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध लम्बित प्रत्यावेदन/अपील की वर्तमान स्थिति अंकित की जायेगी। जैसे- लम्बित /अस्वीकृत /स्वीकृत
22	इस कालम में भर्ती वर्ष के पूर्ववर्ती 10 वर्षों की सत्यनिष्ठा की निम्नांकित श्रेणी अंकित की जायेगी:- प्रमाणित अथवा रोकी गई
23	इस कालम में यदि किसी कर्मों की सत्यनिष्ठा रोकी गई है तो उससे कर्मों को संसूचित करने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
24	इस कालम में कर्मों द्वारा रोकी गई सत्यनिष्ठा के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील देने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
25	इस कालम में कर्मों के रोकी गई सत्यनिष्ठा के विरुद्ध लम्बित प्रत्यावेदन/अपील की वर्तमान स्थिति अंकित की जायेगी। जैसे- लम्बित /अस्वीकृत /स्वीकृत
26	इसमें दण्डादेश की संख्या अंकित की जायेगी।
27	इसमें दण्डादेश का दिनांक अंकित किया जायेगा।

28	इसमें घटना का दिनांक अंकित किया जायेगा।
29	इसमें दण्डादेश कर्मी को संसूचित किये जाने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
30	इसमें दण्ड की प्रकृति अंकित की जायेगी। जैसे- पदच्युत करना / सेवा से हटाना आदि।
31	इसमें दण्डादेश के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील प्रेषित करने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
32	इसमें दण्डादेश के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील की वर्तमान स्थिति अंकित की जायेगी। जैसे- लम्बित /अस्वीकृत /स्वीकृत
33	इसमें दण्डादेश की संख्या अंकित की जायेगी।
34	इसमें दण्डादेश का दिनांक अंकित किया जायेगा।
35	इसमें घटना का दिनांक अंकित किया जायेगा।
36	इसमें दण्डादेश कर्मी को संसूचित किये जाने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
37	इसमें दण्ड की प्रकृति अंकित की जायेगी। जैसे- अर्थदण्ड, परिनिन्दा प्रविष्टि आदि।
38	इसमें दण्डादेश के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील प्रेषित करने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
39	इसमें दण्डादेश के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील की वर्तमान स्थिति अंकित की जायेगी। जैसे- लम्बित /अस्वीकृत /स्वीकृत
40	इसमें निलम्बन का आदेश संख्या व दिनांक अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: न-39/2012 दिनांक 30-10-2016
41	इसमें निलम्बन का कारण संक्षिप्त विवरण अधिकतम 20 शब्दों में अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: अवकाश से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होने के सम्बन्ध में।
42	इसमें कर्मी को बहाल किये जाने का आदेश संख्या व दिनांक अंकित किया जायेगा।
43	इसमें अपराध संख्या/धारा/थाना/जनपद अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: 234/96, धारा 323/324 आदि, थाना-गाजीपुर, लखनऊ
44	इसमें आरोप पत्र संख्या व आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किये जाने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
45	इसमें अभियोग की अद्यतन स्थिति व अभियोग में यदि मा0 न्यायालय का कोई निर्णय हो तो निर्णय का संक्षिप्त विवरण व दिनांक अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: वाद मा0 न्यायालय एडीजे-5, लखनऊ के यहां एस0टी0 नं0-399/98 पर विचाराधीन है, जिसमें अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 31-10-2016 नियत है।
46	इसमें जाँच संगठन का नाम अंकित किया जायेगा। जैसे- विभागीय, सी0बी0सी0आई0डी0 आदि।
47	इसमें आरोप का संक्षिप्त विवरण अधिकतम 20 शब्दों में अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: अवकाश से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के सम्बन्ध में।
48	इसमें कर्मी को आरोप पत्र प्राप्त कराने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
49	विभागीय कार्यवाही की वर्तमान स्थिति -पूर्ण/लम्बित। पूर्ण है तो परिणाम व लम्बित है तो किस स्तर पर लम्बित है तथा लम्बित का कारण अंकित किया जाये।
50	यदि अपील हुई है तो अपील का दिनांक अंकित करते हुए अपील का परिणाम भी अंकित किया जाये।
51	इसमें कर्मी के चयन, प्रोन्नति या सेवा के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय या राज्य लोक सेवा अधिकरण के आदेश का संक्षिप्त विवरण अधिकतम 20 शब्दों में अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: निलम्बन आदेश दिनांक 30-10-2016 अग्रिम आदेशों तक स्टे है।
52	इसमें वाद संख्या एवं मा0 न्यायालय के आदेश का दिनांक अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच, रिट याचिका संख्या: 3570(एस/एस)/2013, दिनांक 14-12-2016

53	विभागीय चयन समिति द्वारा अंकित किया जायेगा।
54	विभागीय चयन समिति द्वारा अंकित किया जायेगा।

सामान्य निर्देश :-

- 1- प्रत्येक कालम को स्पष्ट रूप से भरा जायेगा यदि किसी कालम में कोई सूचना अंकित नहीं की जानी है तो उस कालम में स्पष्ट रूप से शून्य अंकित किया जाय।
- 2- उक्त सूचना A3 पेज पर Landscape में माइक्रोसाफ्ट एक्सेल में Kruti Dev 010 फॉन्ट में ही तैयार की जाय।
- 3- एक लाइन में एक ही अभ्यर्थी की सूचना अंकित की जाये। Lines/cells को merge न किया जाय।
- 4- एक ही cell में नई लाइन में लिखने हेतु Alt+Enter का प्रयोग किया जाय।
- 5- अपूर्ण प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

